संख्या-147/2025/1949/26-3-2025-1791932

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1190/स0क0/विकास/ए0वि0यो0/शासनादेश/01/2025-26 दिनांक 21.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय क्षेत्रों में आने वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्डों में सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते हुए शासनादेश संख्या-54/2022/264/26-3-2025-10(15)/2007 दिनांक 10.05.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में कतिपय संशोधन किये जाने हेतु यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-54/2022/264/26-3-2025-10(15)/2007 दिनांक 10.05.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में नगरीय क्षेत्रों यथा-नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत की सीमा में आने वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्डों में सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये हैं।

अतएव नगरीय क्षेत्रों (यथा-नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत) में आने वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्डों में सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती हैः-

(A) नगरीय क्षेत्रों (यथा-नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत)

1. सम्बन्धित वार्ड जिसमें योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है, में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सम्बन्धित वार्ड की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत या अधिक होना चाहिए (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)।

2. जनपदों द्वारा प्रस्तावित/चयनित सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु न्यूनतम 300 वर्ग मी० निःशुल्क भूमि जो उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज हो, की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित नगर निकाय/उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि को समाज कल्याण विभाग के नाम निःशुल्क अन्तरित कराना होगा एवं उक्त भूमि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण एवं विवाद रहित है, का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण निःशुल्क भूमि प्राप्त होने पर किया जाएगा। सम्बन्धित वार्ड में सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन इस प्रकार किया जाए कि सामुदायिक विकास केन्द्र निर्माणोपरान्त अनुसूचित जातियों हेतु सहजता से सुलभ हो।

3. योजनान्तर्गत प्रदेश के बजट में कुल प्राविधानित धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक नगरीय क्षेत्रों में सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण में व्यय होगा।

4. योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने पर प्राविधानित धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर व्यय की जाएगी।

(B) उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 10.05.2022 के बिन्दु संख्या-3 योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन की पात्रता के उप बिन्दु संख्या-2, 3 एवं 5 को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

बिन्दु संख्या-3 योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन की पात्रता।

बिन्दु संख्या-3	पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश	नवीन दिशा-निर्देश
बिन्दु संख्या-3(2)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत एक जनपद से समेकित रूप से दो अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के विकास कार्यो जिसकी कुल अधिकतम लागत रूपया एक करोड़ सीमा के अन्दर हो, के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जिसमें एक ग्राम का प्रस्ताव अधिकतम रूपया पचास लाख की सीमा तक का हो।	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत एक जनपद से समेकित रूप से दो अथवा अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों में सामुदायिक विकास केन्द्रों का निर्माण कराया जाएगा। निदेशालय स्तर पर किसी - जनपद के भिन्न-भिन्न ग्रामों के 02 से अधिक प्रस्ताव आने पर वहां निर्धारित मानक से अधिक सामुदायिक विकास केन्द्र बनाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा। उक्त शासनादेश 10.05.2022 के बिन्दु संख्या-3 के उप बिन्दु संख्या -2 में दी गयी व्यवस्था को केवल सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु संशोधित किया जाना है। योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु उक्त शासनादेश 10.05.2022 के बिन्दु संख्या-3 के उप बिन्दु संख्या-2 में दी गयी व्यवस्था यथावत् रहेगी।
बिन्दु संख्या-3(3)	योजनान्तर्गत जिस जनपद का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत हो चुका है उसी जनपद के दूसरे प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक उस जनपद की उस परियोजना का कार्य पूर्ण न करा दिया गया हो तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।	योजनान्तर्गत जिस जनपद का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत हो चुका है उसी जनपद के दूसरे प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है ।
बिन्दु संख्या-3(5)	गत वर्षो में प्राप्त नवीन प्रस्ताव जो धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं हुये है, को चल वित्तीय वर्ष/अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत नहीं किया जायेगा।	योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्षों में प्राप्त नवीन प्रस्ताव जो धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं हुए है, को चालू वित्तीय वर्ष / अगले वित्तीय वर्ष में कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निदेशालय द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों के क्रम में अग्रणीत किया जा सकेगा ।

(C) योजनान्तर्गत सामुदायिक विकास केन्द्रों का निर्माण कार्यदायी संस्था-यू०पी० सिडको से प्राप्त मानक आगणन के अनुसार किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-54/2022/264/26-3-2025-10(15)/2007 दिनांक 10.05.2025 में उपरोक्त प्रस्तर-2 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों (यथा-नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत) में आने वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्डों में सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए, शासनादेश दिनांक 10.05.2022 के बिन्दु संख्या-3 योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन की पात्रता के उप बिन्दु संख्या-2, 3 एवं 5 को संशोधित किया जाता है।

तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Digitally signed by RAJANI KANT PANDEY
Date: 15-09-2025 17:04:55

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
4- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव